कानून

अदालतों में 3 करोड़ से भी अधिक केस पेंडिंग

बलात्कार से जुड़े मामले इस प्रकार है

1.	इलाहाबाद हाईकोर्ट	8215
2.	मध्यप्रदेश हाईकोर्ट	3758
3.	पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट	2717
4.	छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट	1533
5.	उड़ीसा हाईकोर्ट	1080
6.	राजस्थान हाईकोर्ट	1164
7.	मुम्बई हाईकोर्ट	1009
8.	दिल्ली हाईकोर्ट	924
9.	झारखण्ड हाईकोर्ट	822
10.	पटना हाईकोर्ट	797
11.	केरल हाईकोर्ट	420
12.	आन्ध्रप्रदेश हाईकोर्ट	269
13.	कर्नाटक हाईकोर्ट	243
14.	गुजरात हाईकोर्ट	230
15.	मद्रास हाईकोर्ट	179
16.	हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट	177
17.	गुवाहाटी हाईकोर्ट	174
18.	जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट	28
19.	कोलकाता हाईकोर्ट	27
20.	उत्तराखण्ड हाईकोर्ट	26

समस्त आंकड़े विधि मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक

प्रमोद सिंह तोमर
अधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय
जबलपुर (म.प्र.)

3 करोड़ से भी अधिक मामले देश की अदालतों में लंबित हैं। इन मामलों में चैक बाउंस, मोटर वाहन, दावों संबंधी मामलों की संख्या करीब 33 फीसदी से 35 फीसदी हैं। 36 लाख से अधिक मामले देशभर के उच्च न्यायालयों में निपटारे में धीमी प्रगति के कारण लंबित पड़े हुए हैं। वहीं 2 करोड़ से अधिक मामले देश की निचली अदालतों में हैं।

एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार अदालतों को 3 हजार से अधिक न्यायिक कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब न्यायपालिका ऐसा सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे देश में न्याय देने की समूची व्यवस्था का चेहरा बदल जायेगा। इससे मुकदमों के निपटारे में होने वाली देर खत्म हो सकेगी। हाईकोर्ट के टॉप जज किसी भी मुकदमें के निपटारे की समय सीमा 3 से 5 साल तक तय करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अभी ऐसे कई मामले हैं जो अदालतों में 20 साल से भी ज्यादा समय से अटके पड़े हैं। 21 हाईकोर्ट में प्रतिवर्ष प्रति न्यायाधीश द्वारा औसतन 1363 मामले निपटाए जाते हैं। वहीं रेप व यौन अपराध के 24117 केस लंबित हैं। जिसमें सबसे अधिक 8215 मामले इलाहबाद उच्च न्यायालय में हैं। 30.09.2012 तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में बलात्कार से जुड़े 23792 और उच्चतम न्यायालय में 325 मामले लंबित हैं। 2009 से 11.11.2012 तक 3 वर्षों के दौरान बलात्कार से जुड़े 8772 मामलों का निपटारा किया गया है।

यौन उत्पीड़न मामलों में हमारे देश में तेजी से बढ़ोतरी हुई है इसमे एक पीड़िता को न्याय कैसे प्राप्त हो सकता है यह जानने के लिए म.प्र. उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर के एक अपराधिक प्रकरण में पैरवी करने वाले जाने माने अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर इस संदर्भ में एक परिचर्चा की जिसके कुछ अंश जो कि प्रत्येक यौन पीड़िता या यौन संबंधित पीड़ित व्यक्ति के लिए इसकी जानकारी होना आवश्यक है। पाठकों को हम बता दें यौन अपराध की परिभाषा क्या है। यौन उत्पीड़न वह अपराध होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के साथ चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो या किसी भी प्रकार जैविक प्राणी जिनके साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध या जोर जबरदस्ती से या उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर किसी अन्य जैविक प्राणी द्वारा उसके साथ उसके यौन स्थान पर लैंगिक प्रहार किया जाता है। वर्तमान में दिनों दिन बढ़ रहे बलात्कार के मामले हम सभी के लिए तथा सरकार के लिए भी चिंता एवं चिंतन का विषय है।

अब प्रस्तुत है परिचर्चा के कुछ अंश

1. यौन उत्पीड़ित को क्या करना चाहिए?

उत्तर. सबसे पहले इस प्रकार के व्यक्तियों को समाज की बिना परवाह किये इस प्रकार की घटना को उजागर करना चाहिए क्योंकि अधिकतर प्रकरणों में यह देखा गया है कि जिस व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किया जाता है उसके द्वारा पीड़िता से यही कहा जाता है यदि तुम यह बात किसी को बताओगी तो समाज में तुम्हारी किसी प्रकार की इज्जत नहीं रहेगी एवं समाज के सभी व्यक्ति तुम्हे हेय्य दृष्टि से देखेंगे, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर हैं और यदि हम यौन अपराध करने वाले व्यक्तियों के नाम बेखौफ होकर बतायेंगे तो निश्चित ही इस प्रकार के अपराध की संख्या में काफी कमी आयेगी और इस प्रकार की घटना की पुर्नावृत्ति को दूसरे के साथ घटित होने से रोका जा सकता है।

2. यौन उत्पीड़िता की पुलिस द्वारा किस प्रकार सहायता की जा सकती है?

उत्तर. पुलिस के पास जब भी इस प्रकार का फरियादी या पीड़िता सामने आये तो उसके साथ नरमी से बात करते हुए तथा यदि संभव हो तो यदि यौन पीड़िता स्त्री है तो संबंधित थाने में पदस्थ महिला अधिकारी द्वारा ही उसकी प्राथमिकी लिखी जानी चाहिए जिससे की वह बिना किसी झिझक के घटना के सही तथ्य प्राथमिकी में दर्ज करा सकें। आगे की कार्रवाई सही समय पर हो तो पीड़ित को सही समय में न्याय मिल सकेगा।

3. सरकार ने इसको रोकने के क्या कदम उठाये हैं और लाभ क्या हैं?

उत्तर. इस प्रकार के बढ़ते अपराधों को देखकर सरकार ने बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया है, जिसमें कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर दण्ड का प्रावधान है। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत काफी कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। वहीं महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नं. 1090 चालू किया गया है जो टोल फ्री है। इसमें महिलाएं बेहिचक होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। म.प्र. के सभी थानों में महिला सेल व महिला डेस्क है, जहां पीड़ित महिला जाकर अपनी बात रख सकती है। जो कि निश्चित ही इन अपराधों को रोकने के लिए कारगर सिद्ध होगा।

-भावना विष्ट

MPHIN/2004/16741 डाक पंजीयन क्रमांक : आयडीसी/डिवीजन/1159/2013-15

पत्रकारिता नही... इतिहास बनाते है हम

✻10 जनवरी 2008 को पूरे भारत मे सबसे पहले हमने कवर स्टोरी प्रकाशित की थी
हिन्दुस्तान का भविष्य नरेंद्र मोदी जो चार साल बाद सच साबित हुई

✻10 अप्रैल 2011 को सबसे पहले हमने कवर स्टोरी प्रकाशित की थी राजनीति के जाल मे फंसते रामदेव
जो दो माह बाद सच साबित हुई , रामलीला मैदान की धटना जून मे हुई

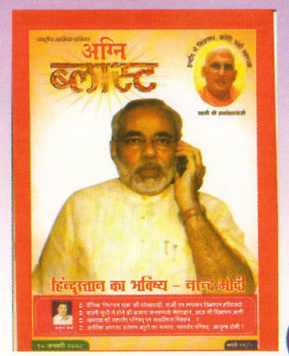

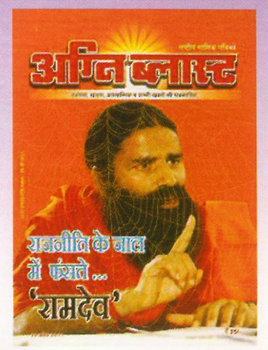

10 वर्षो के प्रकाशन में...

17 राज्यो एवं भारत के सभी सांसदो
लोकसभा, राज्यसभा, के हाथो में ...
अग्नि ब्लास्ट

इन राज्यों में दबंग, साहसी एवं खोजी खबरो की पत्रकारिता हेतु संवाददाता नियुक्त करना है
महाराष्ट्र, राज्यस्थान, छत्तीसगढ़ , उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, गोवा,
हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, देहरादून, नईदित्ली,
इच्छुक व्यक्ति संपर्क करे

प्रधान कार्यालय : 210, प्रेम प्लाजा, 5-6, अशोक नगर, भंवरकुंआ मेनरोड़, इन्दौर (म.प्र.) भारत
फोन : 0731-2760809, फैक्स : 0731-2760809 -9425311665
Email: mukeshthakur.ab@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

अग्नि ब्लास्ट

दबंगता, साहस, आध्यात्मिक व सच्ची खबरों की पत्रकारिता

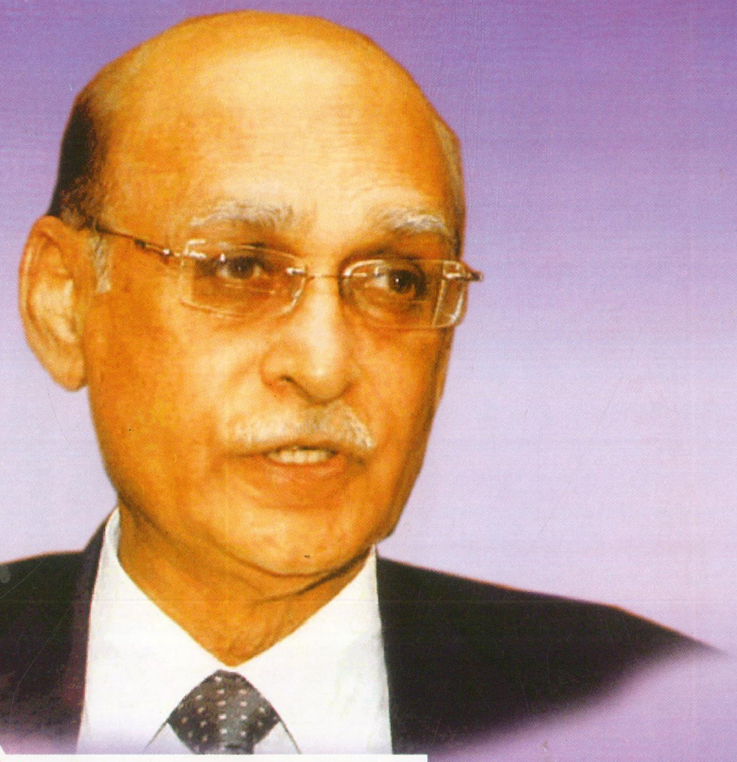

लोकायुक्त की लीपापोती...

10 फरवरी 2015 | Visit us at : www.agniblast.com | ₹25/-